

राजस्थान सरकार
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प

क्र. 171

:- आदेश :-

दि. 18/3/19

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी
द्वारा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत / नायब तहसीलदार
कोलायत व जिला कोलायत की जमावन्दी सम्वत् 2073-2076
के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डोकला
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	डोकला	437	सीमा देवी धर्मपत्नी सुन्ना राम जाति बुधवार निवासी डोकला तहसील कोलायत जिला कोलायत ख. नं. 368 हिसा 2-41 है प्रविष्टि वै. 0-02-92 है आर. देवी पत्नी करणीराम कोम ब्राह्मण सा. 1-37 है आर. देवी पत्नी करणीराम दुर्गा देवी पत्नी जेठाराम कोम ब्राह्मण सा. 7-49 है आर. देवी पत्नी करणीराम दुर्गा देवी पत्नी जेठाराम कोम ब्राह्मण सा. 5-71 है	सीमा देवी धर्मपत्नी सुन्ना राम जाति बुधवार निवासी डोकला तहसील कोलायत जिला कोलायत ख. नं. 368 हिसा 2-41 है प्रविष्टि वै. 0-02-92 है आर. देवी पत्नी करणीराम कोम ब्राह्मण सा. 1-37 है आर. देवी पत्नी करणीराम दुर्गा देवी पत्नी जेठाराम कोम ब्राह्मण सा. 7-49 है आर. देवी पत्नी करणीराम दुर्गा देवी पत्नी जेठाराम कोम ब्राह्मण सा. 5-71 है

(उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-कोलायत)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर
दिनांक :-

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद
को सूचना दी जाये।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत